# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

**पीठासीन अधिकारी : श्री मोहनलाल खटनावलिया , आर0ए0एस0**

**राजस्व वाद संख्या : 77/2018**

वादी :- बनाम प्रतिवादी

1. गोरधनराम पुत्र घीसाराम जाति-नट, निवासी-खराड़ी, तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राज.)

1. तहसीलदार, तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राज.)

**राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं**

**तारीख रजू:.28/03/2018**

उपस्थितः- 1. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, वादी।

2. सरकारी पैरोकार नायब तहसीलदार, जैतारण।

**-:: निर्णय ::-** **दिनॉकः- 19/06/2018**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि राजस्व मौजा-खराड़ी, पटवार हल्का-डिगरना, तहसील-जैतारण, जिला-पाली में वादी की पैतृक पुश्तैनी खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 992 रकबा 06-04 बीघा की आई हुई है। जिसमें वादी का स्वयं का नाम गोदाराम चला आ रहा है। नकल जमांबदी वादपत्र के साथ पेश है। जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। उपरोक्त वर्णित आराजी में वादी का कब्जा व काश्त चला आ रहा है एवं इसी हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर के काश्त करते चले आ रहा है। उक्त आराजी में वादी का सही नाम गोरधनराम के स्थान पर गोदाराम का इन्द्राज हो गया है जो एक रोंग एन्ट्री है जबकि वादी का सही नाम गोरधनराम ही है सरकारी दस्तावेजात आधारकार्ड एंव परिचय पत्र, राशनकार्ड आबादी प्लॉट के पट्टे बैंक की पासबुक आदि में भी वादी का सही नाम गोरधनराम ही दर्ज है। परन्तु राजस्व रेकर्ड में तत्त्कालीन आर आई, पटवारी ने वादी का नाम गोदाराम गलत इन्द्राज कर दिया है जो एक रोंग एन्ट्री की तारीफ में आता है जबकि वादी का सही नाम गोरधनराम है जो वादपत्र के साथ प्रस्तुत सरकारी दस्तावेजात से एवं जमाबंदी से प्रमाणित है। जिसको दुरूस्त कराने बाबत् यह वादपत्र घोषणा का श्रीमान् के समक्ष पेश है। वादी का नाम गलत इन्द्राज है, जिसमें वादी को अनेकों प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है क्योकि उपरोक्त वर्णित राजस्व रेकर्ड व सरकारी दस्तावेजात में वादी के अलग अलग नाम होने से बैंक से ऋण, कनेक्शन लेने एवं अन्य सभी सरकारी योजनाओं का फायदा लेने में वादी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इसलिए वादी का उपरोक्त वर्णित आराजी में गलत नाम गोदाराम के स्थान पर सही नाम गोरधनराम दुरूस्त करने हेतु यह वादपत्र घोषणा का विरूद्ध प्रतिवादी के श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। वादी के अन्य सरकारी दस्तावेजात में सही नाम इन्द्राज चले आ रहे है परन्तु राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में नाम गलत इन्द्राज हो जाने की वजह से अनेकों प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए वादी के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से दिनांक 20/3/2018 को प्रतिवादी को एक लिखित में प्रार्थना पत्र जमांबदी में नाम के सही व दुरूस्त इन्द्राज कराने का प्रस्तुत किया जिस पर प्रतिवादी ने इंकार कर दिया

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

एवं सक्षम न्यायालय में कानूनी कार्यवाही करने का कहा तब वादी का यह वादपत्र बाबत् अपने नाम की दुरूस्ती कराने की घोषणा कराने के बाबत् बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। बिनाय वाद दिनांक 20/03/2018 को वादी द्वारा राजस्व रेकर्ड में अपना सही नाम दर्ज कराने हेतु प्रतिवादी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर प्रतिवादी द्वारा स्पष्ट रूप से इंकार होने पर बमुकाम खराड़ी जैतारण में पैदा हुआ है, जो अंदर म्याद व श्रीमान् के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है। इस प्रकार वाद-पत्र मय शपथ-पत्र पेश कर माफिक दावा वाद स्वीकार किये जाने तथा वादी का उक्त राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज गोदाराम के स्थान पर वास्तविक नाम गोरधनराम पुत्र घीसाराम दुरूस्त दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। सरकारी पैरोकार अपना जबाबदावा पेश करने का समय चाहते हैं।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-डिगरना में पेश हुई। मजमा-ए-आम में जानकारी प्राप्त की गई। मजमा-ए-आम में मौतबिरान लोगों ने बताया कि गोदाराम को बचपन में जगदीश के नाम से पुकारते थे। अतः राजस्व रेकर्ड में गोदाराम दर्ज हो गया। गोदाराम एवं गोरधनराम एक ही व्यक्ति हैं। गोरधनराम के सभी दस्तावेजात गोरधनराम पुत्र घीसाराम के नाम से ही बनाये हुए हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। मजमा-ए-आम में भी उक्त संबंध में जानकारी ली गई। तथापि गोदाराम एवं गोरधनराम एक ही व्यक्ति होना जाहिर किया। वस्तुतः वाद-पत्र के साक्ष्य सबूत में भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र **RJ/21/159/153500**, आधार कार्ड 326276856697, भामाशाह कार्ड **YQIIYFF**, पैन्शन पी.पी.ओ. नं. **RJ-A-04609560** की फोटो छाया प्रतियाँ पेश की, जिससे वादी का सही नाम गोरधनराम ही हैं। राजस्व अभिलेख में गलत रूप से गोदाराम दर्ज नाम के स्थान पर गोरधनराम पुत्र घीसाराम दुरूस्त किया जाना उचित समझते हैं।

**-:: आदेश ::-**

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि राजस्व मौजा-खराड़ी, पटवार हल्का-डिगरना, तहसील-जैतारण, जिला-पाली में वादी की पैतृक पुश्तैनी खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 992 रकबा 06-04 बीघा की आई हुई है। वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी के गलत दर्ज नाम गोदाराम के स्थान पर वास्तविक एवं सही नाम गोरधनराम पुत्र घीसाराम दुरूस्त किये जाने की घोषणा की जाती हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 19/06/2018 को लोक अदालत / केम्प कोर्ट शिविर अटल सेवा केन्द्र-डिगरना में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

# डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- श्री मोहनलाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

वादी :-

1. गोरधनराम पुत्र घीसाराम
जाति-नट, निवारी-खराड़ी,
तहसील-जैतारण, जिला-पाली
(राज.)

बनाम

प्रतिवादी

1. तहसीलदार, तहसील-जैतारण,
जिला-पाली (राज.)

<u>राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट</u>

मु0न0 :रा0वा0 स0: 77/2018

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ..........-........ व हाजरी श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व सरकारी पैरोकार तहसीलदार, जैतारण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि राजस्व मौजा-खराड़ी, पटवार हल्का-डिगरना, तहसील-जैतारण, जिला-पाली में वादी की पैतृक पुश्तैनी खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 992 रकबा 06-04 बीघा की आई हुई है। वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी के गलत दर्ज नाम गोदाराम के स्थान पर वास्तविक एवं सही नाम गोरधनराम पुत्र घीसाराम दुरूस्त किये जाने की घोषणा की जाती हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 19/06/2018 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
(जिला-पाली)

| मुद्धई | रूपये पैसे | मुद्धायलाह | रूपये पैसे |
|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | 01-00 | स्टाम्प वकालतनामा | |
| स्टाम्प वकालतनामा | 01-00 | स्टाम्प अर्जी | |
| स्टाम्प वजह सबूत | 03-00 | महनताना वकील | |
| महनताना वकील | – | खर्चा गवाहान | \| |
| खर्चा गवाहान | 02-00 | फीस कमीश्नर | |
| फीस कमीश्नर | – | बाबत ईजराय हुक्मनामा | |
| बाबत ईजराय हुक्मनामा | – | मुत्फरिक | |
| मिजानः- | 07-00 | मिजानः- | |

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।